

'तत्काल सेवा' हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. 'तत्काल सेवा' के तहत जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की नियत समय-सीमा दो कार्य दिवस होगी।
2. आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन जमा करने पर पूर्ववत पावती दी जाएगी एवं पावती पर 'तत्काल सेवा' अंकित रहेगा।
3. इन सेवाओं के लिए भी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
4. इन सेवाओं के तत्काल सेवा के आवेदन के साथ आवेदक को अपने पहचान के साक्ष्य के रूप में समूह-'क' एवं सेवा विशेष की प्राप्ति हेतु समूह-'ख' में वर्णित कागजातों में से एक-एक अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा (सूची संलग्न)।

यदि आवेदक के पास समूह-'क' एवं 'ख' से सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नहीं हों तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण पत्रों को 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

5. 'तत्काल सेवा' के तहत निर्गत सभी प्रमाण पत्रों में "तत्काल सेवा" अंकित होगा एवं इसके अधोभाग पर यह अंकित रहेगा कि "इस प्रमाण पत्र को उपयोग में लाने से पूर्व इसकी वैधता की जांच सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.bih.nic.in पर प्रमाण पत्र का आई.डी. नम्बर डालकर अवश्य कर लिया जाए।"
6. जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था सामान्य समानांतर रूप से पूर्ववत बनी रहेगी।
7. अपील एवं दण्ड के प्रावधान भी पूर्ववत रहेंगे।